[illegible]य, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 75/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/290)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. करण बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला हाल आवाद एसएच-16 रिद्धि-सिद्धि प्रथम, श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 12.05.2023

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय--

दिनांक : 12.02.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, खाता संख्या 11/11, खाता संख्या 12/12, खाता संख्या 20/18 एंव चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28, 28/29, 29/30 में वादी का नाम संयुक्त खातेदारान के साथ दर्ज है। वादी को उक्त भूमि जरिए विरास्तन इंतकाल से प्राप्त हुई है। विरास्तन इंतकाल करते समय सहवन से वादी का नाम कोहिनूर बराड दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर ही वादगत भूमि में वादी का नाम कोहिनूर बराड दर्ज हो गया। वादी उक्त खातों में अपना नाम करण बराड अंकित करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, खाता संख्या 11/11, खाता संख्या 12/12, खाता संख्या 20/18 एंव चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28, 28/29, 29/30 में अंकित नाम कोहिनूर बराड के स्थान पर करण बराड नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 5530 दिनांक 02.11.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एफ ए की जमाबन्द सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 एंव चक 5 एफ ए के खाता संख्या 27/28, 28/29, 29/30 में कोहिनूर बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र में करण बराड अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि कोहिनूर बराड व करण बराड एक ही व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10 की प्रति, चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 11/11 की प्रति, चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 12/12 की प्रति, चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 20/18 की प्रति, एंव चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28 की प्रति, चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28/29 की प्रति, चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/30 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा चक 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, खाता संख्या 11/11, खाता संख्या 12/12, खाता संख्या 20/18 एंव चक 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28, 28/29, 29/30 में अंकित नाम कोहिनूर बराड के स्थान पर करण बराड दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के मतदाता पहचान, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस में नाम करण बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि कोहिनूर बराड व करण बराड दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, खाता संख्या 11/11, खाता संख्या 12/12, खाता संख्या 20/18 एंव राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28, खाता संख्या 28/29, खाता संख्या 29/30 में अंकित नाम कोहिनूर बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर कोहिनूर बराड उर्फ करण बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

करण बराड बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 75/2023

निर्णय दिनांक :- 12.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, खाता संख्या 11/11, खाता संख्या 12/12, खाता संख्या 20/18 एंव राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/28, खाता संख्या 28/29, खाता संख्या 29/30 में अंकित नाम कोहिनूर बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर कोहिनूर बराड उर्फ करण बराड पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 12.02.2024

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/34
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)